रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 401] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 6, 1987/श्रावण 15, 1909
No. 401.] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 6, 1987/SRAVANA 15, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 1987

आदेश

का. आ. 762 (अ)—केन्द्रीय सरकार, विकास परिषद् (प्रक्रिया) नियम, 1952 के नियम 2, नियम 4 और नियम 5 के साथ पठित उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 277(अ), तारीख 4 अप्रैल, 1983 का, जिसके द्वारा औद्योगिक यंत्रों और वैज्ञानिक यंत्रों के विनिर्माण

और उत्पादन में लगे हुए अनुसूचित उद्योग के लिए विकास परिषद् का गठन किया गया था, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त आदेश में,—

(1) क्रम सं. 5 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"श्री सुधीर जालान,
अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक,
मैसर्स बैल्म कन्ट्रोल्स लिमिटेड,
बैल्म हाउस 21, कामक स्ट्रीट,
कलकत्ता-700016. —सदस्य";

(2) क्रम सं. 11 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"श्री पी. पी. सल्होत्रा,
निदेशक (इलैक्ट्रानिकी)
महानिदेशक का कार्यालय,
लघु उद्योग, निर्माण भवन,
नई दिल्ली—सदस्य";

(3) क्रम सं. 25 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा रखा जाएगा, अर्थात्:—

"सी के. के. तनेजा,
औद्योगिक सलाहकार,
तकनीकी विकास महानिदेशालय,
उद्योग भवन,
नई दिल्ली —सदस्य सचिव"।

[आई एल ई-22(2)/85]

जी. वेंकटरमणन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 6th August, 1987

ORDER

S.O. 762(E).—In exercise of the powers conferred by section 6 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), read with rules 2, 4 and 5 of the Development Councils (Procedural) Rules, 1952, the Central Government hereby makes the following further amendment in the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 277(E), dated the 4th April, 1983 constituting a Development Council for the Scheduled Industry engaged in the manufacture and production of the Industrial Instruments and Scientific Instruments, namely :

In the said Order—

(i) for serial No. 6 and the entry relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

"Shri Sudhir Jalan, Chairman-cum-Managing Director, M/s. Bells Controls Ltd., Bells House, 21 Camac Street, Calcutta-700016.—Member";

(ii) for Serial No. 11 and the entry relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

"Shri P. P. Malhotra, Director (Electronics), Office of the DC, SSI, Nirman Bhavan, New Delhi.—Member";

(iii) for Serial No. 25 and the entry relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

"Shri K. K. Taneja, Industrial Adviser, DGTD, Udyog Bhavan, New Delhi.—Member Secretary".

[ILE-22(2)/85]

G. VENKATARAMAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987